



वार्षिक प्रमाणपत्र

[सांविधिक लेखा परीक्षकों के पत्र शीर्ष पर]

लेखापरीक्षित बैंक का पता

हमें, (सांविधिक लेखा परीक्षक की फर्म का विवरण) जिन्हें आगे "सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक" संदर्भित किया जाएगा, (बैंक का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय उपर्युक्त पते पर है, द्वारा अनुरोध किया गया है कि हम जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 और भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित परिपत्र के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में दाखिल ("विवरण") के विवरण वाले वार्षिक प्रमाणपत्र जारी करें —

i. विवि.एसओजी (डीईए निधि) सं.37/30.01.002/2025-26 दिनांक 25 जून 2025

2. लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उचित आश्वासन प्रदान करें कि बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक में दाखिल विवरण जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के अनुसार बैंक द्वारा सही तरीके से संकलित किया गया है या नहीं।

3. बैंक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गये हैं:

बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दाखिल फॉर्म I और फॉर्म II में मासिक रिटर्न की प्रतिलिपि

ए) बैंक की शाखाओं द्वारा ग्राहकों को किए गए निपटान का विवरण

बी) बैंक की अन्य बहियां तथा अभिलेख और

सी) लिखित अभ्यावेदन

4. हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित की हैं:

ए) सत्यापित फॉर्म I और फॉर्म II

बी) नमूना आधार पर ग्राहकों को किए गए निपटान के संबंध में शाखाओं से प्राप्त सत्यापित विवरण

सी) यह सत्यापित किया गया कि अर्धवार्षिक समाधान प्रमाणपत्र (फॉर्म III) समय पर प्रस्तुत कर दिए गए हैं

डी) यह सत्यापित किया गया कि रिटर्न को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के अनुसार

सही ढंग से संकलित किया गया है।



5. 31.03.---- को बैंक की बहियों में डीईए निधि का शेष निम्नानुसार है

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 31.03.----	पिछले वर्ष 31.03.----
1.	01.04.----वर्ष को डीईए निधि का आरंभिक शेष		
2.	जोड़ें: ---- वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि		
3.	घटाएँ: ---- वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि		
4.	31.03.----वर्ष को डीईए निधि का अंतिम शेष (1+2-3)		

6. उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं, बैंक प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 के अनुसार बैंक* द्वारा डीईए निधि रिटर्न/प्रमाणपत्रों को सही ढंग से संकलित किया गया है/सही ढंग से संकलित नहीं किया गया है।

7. यह प्रमाणपत्र केवल आरबीआई को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस प्रमाणपत्र का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

फर्म के पंजीकरण संख्या (एफआरएन) और मुहर के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

यूडीआईएन:

*जो लागू न हो उसे काट दें